कार्यालयः प्रधानाचार्य, राजर्षि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या।
https://www.asmcayodhya.ac.in Email- principalgmcayodhya@gmail.com

पत्रांकः– मे0का0अ0/2020/1535 दिनांकः 11 जुलाई 2020

आवश्यक सूचना

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण लखनऊ के पत्र सं0–एम0ई0–1/2020/2020 दिनांक 17.06.2020 के तारत्मय में निकट भविष्य में कोविड रोगियों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि से दृष्टिगत राजर्षि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, दर्शन नगर, अयोध्या (लेवल–3) में मानक के अनुसार अतिरिक्त मानव संसाधन, स्टाफ–नर्स, वार्ड–ब्वॉय, सफाईकर्मी, डायलिसिस टेक्नीशियन/वेन्टीलेटर टेक्नीशियन/प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराने हेतु E.O.I. (Expression of Interest) के आधार पर टेण्डर इम्पैनल करने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। इच्छुक निविदादाता/फर्म/टेण्डर जो उपरोक्त श्रेणी के मैन पावर की आपूर्ति करने के इच्छुक है। वे अपने प्रस्ताव दिनांक 19.07.2020 तक पंजीकृत डाक द्वारा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित कर सकते है। आपूर्ति किये जाने हेतु वाले मैन पावर की संख्या, मरीजों की संख्या/आवश्यकतानुसार निर्धारित की जायेगी। नियम व शर्ते कालेज के बेवसाइट www.asmcayodhya.ac.in पर उपलब्ध है।

प्रतिभाग करने वाली फर्म रू0 20,000.00 की एफ0डी0आर0 जो प्रधानाचार्य, राजर्षि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या के पदनाम से बन्धक हो निविदा प्रपत्र के साथ जमा करानी होगी।

प्रधानाचार्य
राजर्षि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय
अयोध्या।

पत्रांक व दिनांक तद्।

पत्र की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. वित नियंत्रक, राजर्षि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राजर्षि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय, दर्शन नगर, अयोध्या।
5. निविदा सैल, राजर्षि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या को इस आशय के साथ अग्रिम कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाय।

प्रधानाचार्य
राजर्षि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय
अयोध्या।

कार्यालय, प्रधानाचार्य, राजर्षि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या।

प्रपत्र

आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम : .....

पत्र व्यवहार का पता : .....

.....

क्र0सं0	चैक लिस्ट	संलग्न है/नहीं है
01	आपूर्तिकर्ता फर्म को अनुबन्ध के लिए धरोहर/जमानत राशि रू0:1.00 लाख को एफ0डी0 आर0 प्रधानाचार्य स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या के पक्ष में बंधक हो, कार्यालय में जमा करानी होगी।	
02	आयकर पंजीयन (पेन नम्बर)।	
03	जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन।	
04	आधर कार्ड की छायाप्रति।	
05	राजकीय मेडिकल कालेज अथवा जिला चिकित्सालय में मानव संसाधन उपलब्ध कराये जाने का अनुभव प्रमाण–पत्र।	
06	चरित्र प्रमाण पत्र जिलाधिकारी द्वारा जारी।	
07	आपूर्तिकर्ता फर्म के विरूद्ध–किसी भी न्यायालय आदि में कोई वाद (केस) दर्ज पंजीकृत नहीं है एवं काली सूची (Black Listed) में दर्ज न होने का नोटरी शपथ–पत्र।	

दिनांक–

आपूर्तिकर्ता फर्म के हस्ताक्षर
(नाम व मुहर)
पत्र वयवहार का पूरा पता–
मोबाइल नम्बर

कार्यालय प्रधानाचार्यः राजर्षि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या।

सामान्य/आवश्यक शर्ते

1. महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ के पत्र सं0–एम0ई0–1/2020/2026, दिनांक–17.06.2020 के तारत्मय में निकट भविष्य में कोविड रोगियो की संख्या में तीव्र गति से बढने की प्रबल सम्भावना के दृष्टिगत अतिरिक्त मानव संसाधन की आवश्यकता के दृष्टिगत इस कार्यालय द्वारा निर्गत विज्ञप्ति आवश्यक सूचना संख्या एफजैडडी/2020/1156 दिनांक 07.07.2020 के क्रम में निम्नवत सामान्य/आवश्यक शर्तो के अधीन प्रतिष्ठित/ख्याति प्राप्त फर्मो से प्राप्त किये जाने हेतु निर्देश निम्नवत है।
2. आपूर्तिकर्ता फर्म को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 लखनऊ के द्वारा समय पर जारी दिशा–निर्देश का पालन करना होगा।
3. आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा तैनात किये जाने वाले मानव संसाधन को एन0एच0एम0 दर पर ही मानदेय का भुगतान किया जायेगा। यह स्टाफ नर्स हेतु रू0 16373/–प्रतिमााह एवं वार्ड ब्वॉय हेतु रू0 8374/– प्रतिमाह, सफाईकर्मी हेतु रू0 7613/– प्रतिमाह तथा डायलिसिस टेक्निशियन/वेन्टीलेटर टेक्निशियन/प्रशिक्षित मानव संसाधन हेतु 16376/– प्रतिमाह के दर से होगी।
4. आपूर्तिकर्ता फर्म को किसी राजकीय मेंडिकल कालेज या जिला चिकित्सालय में मानव संसाधन उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. आपूर्तिकर्ता फर्म को चिकित्सालय में आवश्यकतानुसार शार्ट नोटिस पर मैनपावर उपलब्ध करानी होगी।
6. आपूर्तिकर्ता फर्म को अनुबन्ध के लिये धरोहर/जमानत राशि रू0 1.00 लाख (एक लाख रूपये) का एफ0डी0आर0 प्रधानाचार्य राजर्षि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या के पक्ष में बंधक हो, कार्यालय में जमा करानी होगी।
7. आपूर्तिकर्ता फर्म को आपूर्ति किये गये मैन पावर से सम्बधित समस्त औपचारिक (ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0 आदि समस्त कटौती) आदि स्वयं निर्वहन करनी होगी एवं स्वयं नियमानुसार कर्मचारियो के खाते में जमा करवायेगा।
8. आपूर्तिकर्ता फर्म को ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0 में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा, जिसके साक्ष्य प्रस्ताव में प्रस्तुत करना होगा।
9. आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा आपूर्ति किये गये मैनपावर से सम्बधित चरित्र सत्यापन /प्रषिक्षु अर्हता/शैक्षणिक योग्यता आदि प्रमाण पत्रो का स्वयं सत्यापन करना होगा, यदि किसी प्रकार की कोई कूटरक्षित दस्तावेज या कोई कर्मचारी आपराधिक प्रवृत्ति का पाया जाता है या किसी प्रकार का कोई प्रकरण प्रकाश में आता हैं तो आपूर्तिकर्ता फर्म के विरूद्व उचित कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपूर्तिकर्ता फर्म का होगा।
10. आपूर्तिकर्ता फर्म के ब्लैक लिस्टेड न होने के शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. आपूर्तिकर्ता फर्म कार्य किसी अन्य फर्म/व्यक्ति को स्थानातंरित नही कर सकेगा।
12. मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित/न्यायालय में विचाराधीन आपराधिक अथवा आपराधिक रिकार्ड वाले निविदादाताओ को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नही होगी या दस सम्बन्ध में अन्य किसी अन्य माध्यम से विभाग को सूचना प्राप्त होती है कि निविदादाता का कोई मामला मा0 न्यायालय में विचाराधीन है या निविदादाता का कोई आपराधिक रिकार्ड है तो तत्काल निविधादाता की निविधा/अनुबन्ध को निरस्त कर विभागीय कार्यवाही कर दी जायेगी।
13. कोई भी फर्म जो स्टेट बार काउंसलिंग से पंजीकृत हो, उसे निविदा में भाग लेने की अनुमति नही प्रदान होगी।
14. ऐसी फर्म जो किसी शासकीय /स्वशासी संस्था द्वारा वांछित हो/काली सूची में डाल दी गयी हो अथवा काली सूची में डालने की कार्यवाही लम्बित हो, निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नही होगी।
15. निविदादाता को आपूर्तिकर्ता फर्म के सापेक्ष कोई अग्रिम भुगतान नही किया जायेगा। आपूर्ति /फर्म का देयक तीन प्रतिया में देना होगा जिसे यथा शीघ्र भुगतान कर दिया जायेगा, बशर्ते उपलब्ध हो। भुगतान का विलम्ब के कारण निविदादाता आपूर्ति/ कार्य को नही रोकेगा। यदि ऐसा करेगा तो यही अनुबन्ध का उल्लंघन माना जायेगा। इसके साथ ही भुगतान में विलम्ब के कारण निविदादाता आपूर्ति/फर्म को नही रोकेगा। यदि ऐसा करेगा तो उसे अनुबन्ध का उल्लंघन माना जायेगा। इसके साथ ही विलम्ब की स्थिति में किसी भी प्रकार के ब्याज की मांग आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा नही की जायेगी।
16. विवाद की स्थिति में अग्रिम निर्णय अधोहस्ताक्षरी का होगा, जो सभी को मान्य होगा। न्यायाधिकार क्षेत्र अयोध्या न्यायालय में होगा।
17. अधोहस्ताक्षरी को उक्त आवश्यक सूचना के क्रम में कृत कार्यवाही को किसी भी समय निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा।

.....